पेंशनधारक/फैमली पेंशनधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
(केन्द्रीय सिविल सेवा)

1. पेंशन नीति/प्रक्रिया।

1) केन्द्रीय सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी किस नियम के अधीन दी जाती है।

केन्द्रीय सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का विनियमन केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा किया जाता है। रेलवे कर्मचारियेां और रक्षा कार्मिकों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी के विषय में अलग नियम हैं।

2) पेंशन के लिए कौन योग्य है?

सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 31.12.2003 या इससे पहले पेंशनयोग्य संस्थान में नियुक्त हुआ हो और 10 वर्ष या इससे अधिक अर्हकारी सेवा पूरी कर केन्द्रीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, पेंशन के योग्य है।

3) पेंशन की गणना कैसे की जाती है?

01.01.2006 से पेंशन की गणना परिलब्धियों (अंतिम वेतन) का 50% या औसतन परिलब्धियां (अंतिम 10 माह), जो सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभकारी है उसके आधार पर की जाती है।

4) पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए किस वेतन की संगणना परिलब्धियों के समान होगी?

एफ आर (21) (क) में वर्णित मूल वेतन, की संगणना पेंशन के लिए परिलब्धियों के समान होगी। तथापि चिकित्सा अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रैक्टिसबंदी भत्ते को परिलब्धियों में जोड़ा जाएगा। सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी/महंगाई भत्ता को भी सेवानिवृत्त मृत्यु की तिथि पर परिलब्धि ही माना जाएगा।

5) क्या सेवानिवृत्ति के बाद कदाचार के आधार पर किसी व्यक्ति की पेंशन को रोका/वापस लिया जा सकता है?

भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन दिए जाने/जारी रखने के लिए आवश्यक शर्त है, यदि पेंशन प्राप्तकर्ता किसी गंभीर अपराध के लिए जिम्मेदार अथवा गंभीर आचरणहीनता का दोषी पाया जाता है तो चयनकर्ता प्राधिकारी उस व्यक्ति की पेंशन के कुछ भाग अथवा सम्पूर्ण पेंशन को कुछ समय के लिए अथवा स्थाई रूप से हमेशा के लिए रोक सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं।

6) **क्या एक बार पेंशन निर्धारित किए जाने के बाद, नियम 8 व 9 के अंतर्गत कदाचार के अतिरिक्त पेंशनभोगी के अपहित के लिए पेंशन को परिशोधित किया जा सकता है?**

नियम 8 व 9 के अतिरिक्त, सम्पूर्ण गणना के बाद निर्धारित पेंशन में पेंशनभोगी के अपहित के लिए तब तक परिशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें कोई लिपिकीय त्रुटि न पाई जाए। पेंशनभोगी के अपहित के लिए, पेंशन में किसी प्रकार के परिशोधन का आदेश कार्यालय प्रमुख द्वारा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण की संस्तुति के बाद ही दिया जाएगा। इस तथ्य की पुष्टि कि इसमें लिपिकीय त्रुटि है अथवा नहीं प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

7) **छठे और सातवें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम व अधिकतम पेंशन की राशि क्या है?**

छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार पेंशन 3500 से कम तथा सरकार के अधिकतम वेतन के 50% अर्थात रू. 45000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। किंतु सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार पेंशन रू. 9000/– से कम तथा सरकार के अधिकतम वेतन के 50% से अधिक नहीं होनी चाहि। सरकार में 01.01.2016 से अधिकतम वेतन रू0 2,50,000/– है।

8) **क्या अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पेंशन की अधिक दर प्राप्त होगी ?**

हाँ, 01.01.2006 से अधिक आयु के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:–

कार्यालय आदेश सं. 38/37/08–पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए) दिनांक – 02.09.2008.

पेंशनकर्ता/पारिवारिक पेंशन	पेंशनकर्ता की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम होने पर	परिशोधित पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम होने पर	परिशोधित पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	परिशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	परिशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष से अधिक	परिशोधित मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

9) **क्या अतिरिक्त पेंशन केवल वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों के लिए ही स्वीकार्य है?**

हाँ, अधिक आयु के पेंशनभोगियों के गामले में अतिरिक्त पेंशन की दर रो परिवार पेंशनधारी भी लाभान्वित होते हैं।

10) **क्या पेंशन के अभिकलन के लिए अर्हक सेवा में अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान अभी भी लागू है?**

पेंशन/संबंधित लाभों के अभिलकन के लिए अर्हक सेवा के अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान 01.01.2006 से समाप्त कर दिया गया है।

11) **क्या अर्हक सेवा के अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान ग्रेच्युटी के लिए भी समाप्त कर दिया गया है?**

हाँ, 01.01.2006 से।

12) **80 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर, क्या अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उस दिन से प्रारम्भ होगी जिस दिन वे 80 वर्ष के हुए हैं अथवा उस माह से प्रारम्भ होगी जिस माह में उनका जन्मदिन पड़ता है?**

80 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस माह की पहली तारीख से शुरू हो जाएगी, जिस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन धारक 2008 अगस्त के महीने में 80 वर्ष के होने वाले हैं, तो वे 01.08.2008 से पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के हकदार होंगे। ऐसे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन धारक जो 1 अगस्त को 80 वर्ष के हो रहे हैं तो वे भी 01.08.2008 से अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार होंगे।

13) **यदि पेंशन का निर्धारण सही ढंग से नहीं हुआ हो, तो क्या किया जाना चाहिए ?**

वेतन व लेखा अधिकारी, पेंशन प्राधिकार जारी करते समय, पेंशन गणना शीट (जो उन्हें कार्यालय प्रमुख से 3 प्रतियों में प्राप्त हुई है) की 1 प्रति अग्रेषित करेगा। यह कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा वेतन व लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी। साथ ही पेंशनभोगी को यह भी सूचित किया जाएगा कि पेंशन भुगतान प्राधिकार/पी पी ओ, मुख्य वेतन व लेखा अधिकारी को भेज दिया गया है। यदि पेंशन की गणना करने में किसी प्रकार की त्रुटि का मामला सामने आता है तो इसकी जानकारी कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी। संबंधित वेतन व लेखा अधिकारी, आवश्यकता पड़ने पर, एक संशोधन प्राधिकार पत्र, केन्द्रीय पेंशन अकांउटिंग अधिकारी को जारी करेगा, जिसे वे पी पी ओ के सभी दस्तावेजों में सुधार हेतु सी पी पी सी को अग्रेषित करेगें।

14) **क्या पेंशन के भुगतान से प्रारम्भ में ही इन्कम टैक्स (आयकर) काटा जा सकता है?**

हाँ, संबंधित शाखा समय-समय पर जारी दरों के आधार पर प्रारम्भ में ही पेंशन के भुगतान में से आयकर काटने के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे कर काटते समय, संबंधित शाखा आयकर अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर उपलब्ध राहत भी प्रदान करेगी जिसके लिए पेंशनभोगी को अपनी बचत आदि के स्वीकार्य तथा वैध प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित शाखा, आयकर नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में कर कटौती का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जारी करेगी।

15) **पेंशनभोगी के खाते में अधिक भुगतान होने पर क्या बैंक उसे वापस ले सकता है?**
पेंशन का भुगतान करने से पूर्व अदायगी करने वाली शाखा, योजना के अनुलग्नक XI में वर्णित घोषणापत्र पर पेंशनभोगी के हस्ताक्षर करवाएगी। इस घोषणापत्र के आधार पर, अधिक भुगतान होने पर अदायगी करने वाली शाखा उसे वापस ले सकती है।

16) **यदि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी अपना पेंशन भुगतान खाता स्थानान्तरित करना चाहता हो, तो क्या किया जाना चाहिए ?**

पेंशन के स्थानान्तरण का आवेदन 2 वर्गों में आता है:–

i) एक प्राधिकृत बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में उसी स्थान अथवा दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण।

ii) एक प्राधिकृत बैंक से दूसरे प्राधिकृत बैंक में स्थानान्तरण।

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी किसी भी श्रेणी में किसी भी शाखा में स्थानान्तरण संबंधी प्रार्थनापत्र दे सकता है। अदायगी वाली शाखा, प्रार्थनापत्र को पीपीओ के संवितरण भाग के साथ, सी पी पी सी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगी। पी0पी0ओ0 के संवितरण भाग को नवीन अदायगी शाखा/सी0पी0पी0सी में अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस माह तक भुगतान किया जा चुका है, उसका उल्लेख पी0पी0ओ0 के संवितरण भाग में अवश्य किया जाए। प्राप्त करने वाला सी0पी0पी0सी0, पेंशन दस्तावेज़ प्राप्त करने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि पी0पी0ओ0 तीन दिन के अंदर एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा दो अलग बैंक के सी0पी0पी0सी0 के पास भेज दी जाए तथा इसकी सूचना पेंशनधारी को भी दी जाए। आवश्यक सूचना व जानकारी नए तथा पुराने सी0पी0पी0सी0 को अनुलग्क XXI (पृष्ठ 49 योजना पुस्तिका) में भरकर दी जाए तथा इसका रिकार्ड भी रखा जाए।

नई अदायगी शाखा, उपर्युक्त वर्णित प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर तुरंत पेंशन अदायगी प्रारम्भ कर देगी। साथ ही, वह सी0पी0पी0सी0 को पेंशन अदायगी की पूर्ण जानकारी भी देगी।

तीन माह तक नई अदायगी शाखा पेंशनधारी के पी0पी0ओ0 की फोटोकॉपी के आधार पर पेंशन अदा करती रहेगी। इस दौरान पुरानी अदायगी शाखा तथा नई अदायगी शाखा का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन माह के अंदर सभी दस्तावेज़ नई अदायगी शाखा के सी0पी0पी0सी को भेजें।

स्थानान्तरण के समय किसी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए, पी0पी0ओ0 के संवितरण भाग में पुरानी अदायगी शाखा द्वारा निम्न प्रविष्टियाँ की जाएगी।

"प्रमाणित किया जाता है कि..... माह तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है तथा इस पी0पी0ओ0 में संवितरण की प्रविष्टि के लिए..... पृष्ठ हैं।"

इसके अतिरिक्त, पेंशन खाते का स्थानांतरण एक अदायगी स्थल से दूसरे अदायगी स्थल पर नहीं किया जाएगा।

17. पारिवारिक पेंशन, किस समयावधि तक तथा परिवार के किस सदस्य को क्रमानुसार देय होगी?

पारिवारिक पेंशन एक बार में परिवार के एक सदस्य को निम्न क्रम में देय होगी:–

क) विधुर या विधवा को जीवनपर्यन्त अथवा पुनर्विवाह करने तक, जो पहले हो। पारिवारिक पेंशन निःसंतान विधवा या उसके पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगी यदि उसे उसकी आय के स्रोत से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से कम धनराशि प्राप्त होती हो।

ख) जब विधुर व विधवा अपात्र हो तो 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार, 25 वर्ष तक अथवा उनके विवाह तक अथवा मंहगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से अधिक धनार्जन करने पर।

ग) उपर्युक्त क व ख के बाद, किसी पुत्र/पुत्री को जीवनपर्यन्त यदि वह मानसिक रूप से विकलांग अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो तथा अपनी जीविका अर्जित करने में अक्षम हो।

घ) यदि जीवनसाथी/25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे/25 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे/25 वर्ष से अधिक उम्र के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम बच्चे पारिवारिक पेंशन पाने के अपात्र हैं, तो 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी को उसकी उम्र के हिसाब से पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

ङ) इन विकल्पों के बाद पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी के माता–पिता को दी जा सकती है जो कर्मचारी पर पूरी तरह निर्भर थे, जब वह जीवित था।

च) अक्षम भाई–बहन जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व उस पर पूरी तरह आश्रित थे।

18. क्या पारिवारिक पेंशन एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को दी जा सकती है?

सामान्यतः पारिवारिक पेंशन केवल एक व्यक्ति को ही दी जाती है। फिर भी कुछ विशेष मामलों में, इसे परिवार के पात्र सदस्यों में बाटा जा सकता है। मृत कार्मिक की पारिवारिक पेंशन निम्न स्थितियों में एक से अधिक व्यक्ति को दी जा सकती है:–

क) उसकी एक से अधिक विधवा होने पर (हिन्दू विधवा के अतिरिक्त जहाँ बहु–विवाह मान्य हैं।)

ख) विधवा तथा दूसरी पत्नी के बच्चे को, जिसे पारिवारिक पेंशन का भाग मिलता यदि वह जीवित होती।

ग) विधवा तथा तलाकशुदा/गैर कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी के बच्चे को, पारिवारिक पेंशन का भाग मिलेगा जो उसकी माँ को तलाकशुदा न होने पर अथवा कानूनी रूप से मृतक की विवाहिता होने पर मिलता।

घ) जुड़वा, तीन अथवा चार बच्चों को, इन सभी मामलों में, पेंशनधारी किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, उसका हिस्सा, परिवार के दूसरे सदस्य को स्थानान्तरित हो जाएगा जो पेंशनधारी के साथ पेंशन साझा कर रहा था।

19. क्या पारिवारिक पेंशन तलाकशुदा जीवनसाथी को भी मिल सकती है?

पारिवारिक पेंशन तलाकशुदा जीवनसाथी को तभी मिल सकती है जब कोई भी पुत्र या पुत्री पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र न हो। किन्तु यह तलाकशुदा जीवनसाथी को उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि उनका तलाक जारकर्म के आधार पर हुआ है तथा उन्हें जारकर्म का दोषी पाया गया है।

20. क्या पेंशनधारी के जीवित रहते हुए, पारिवारिक पेंशन अक्षम संतान/आश्रित माता–पिता/अक्षम भाई–बहन को भी मिल सकती है?

हाँ, कुछ विशेष मामलों में अक्षम संतान/आश्रित माता–पिता/अक्षम भाई–बहन को पेंशनधारी के जीवित रहते हुए पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 1/27/2011–पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) दिनांक 1 जुलाई 2013 का अवलोकन करें जो पारिवारिक पेंशन परिपत्र के अंतर्गत वेबसाइट में उपलब्ध है।

21. क्या पारिवारिक पेंशन विधवा अथवा विधुर को पुनर्विवाह के बाद भी मिल सकती है?

पुनर्विवाह करने पर पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर भी संतान रहित विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी यदि उसकी आय, प्राप्त पारिवारिक पेंशन और मंहगाई भत्ते से अधिक न हो।

ग्रेच्यूटीः–

1. **क्या सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी/मृत्यु ग्रेच्यूटी, पेंशन का सारंक्षीकृत मूल्य कर योग्य है?**

   नहीं, मृत्यु ग्रेच्यूटी/सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी, पेंशन का सारंक्षीकृत मूल्य पूरी तरह आयकर मुक्त है।

2. **क्या ग्रेच्यूटी की कोई उच्चतम सीमा है यदि हाँ तो अधिकतम स्वीकृत राशि क्या है?**

   हाँ, सभी ग्रेच्यूटी की उच्चतम सीमा 01.01.2006 से दस लाख रूपए कर दी गई है। पूर्व में यह सीमा रू0 3.5 लाख थी। ग्रेच्यूटी की गणना करने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई भत्ता वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। फिर भी 01.01.2006 से ग्रेच्यूटी की उच्चतम सीमा 10 लाख रूपए कर दी गई है और 01.01.2016 से यह 20 लाख रूपए होगी।

3. **पी0ए0ओ0/सी0पी0ए0ओ0 द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी, मृत्यु ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जा सकता है?**

   नहीं।

पेंशन का सरांक्षीकरण

1. **कितनी पेंशन सरांक्षीकृत की जा सकती है?**

   सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन में से पेंशनधारी 40% पेंशन संराक्षीकृत करवा सकता है।

2. **यदि पेंशनधारी की बिना विकल्प दिए मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार को 40% पेंशन सरांक्षीकरण का लाभ मिल सकता है?**
   नहीं, चूंकि ऐसे मामलों में सरांक्षीकरण पूर्ण नहीं होता। अतः यह लाभ परिवार को नहीं मिल सकता।

3. **पेंशन के सरांक्षीकृत भाग को पुनः स्थापित करने के लिए 15 वर्ष की गणना किस प्रकार की जाती है?**

   पेंशन के सरांक्षीकृत भाग को पुनः स्थापित करने के लिए 15 वर्ष की गणना, सेवानिवृत्ति की तिथि से की जाएगी। यह गणना स्वतः ही उसी तिथि से मान्य होगी जहाँ पेंशन के सरांक्षीकृत भाग का भुगतान सेवानिवृत्ति के प्रथम माह में हो जाएगा, जिससे पहली पेंशन के सरांक्षीकरण से उपयुक्त कटौती पहली पेंशन में ही कर ली जाएगी। अन्य सभी मामलों में, जहाँ पेंशन का सरांक्षीकरण दूसरे या बाद के महीनों में प्रारम्भ किया जाता है, 15 वर्ष की गणना उस तिथि से की जाएगी, जब से पेंशन की कटौती प्रारम्भ हुई है।

4. **क्या 15 वर्ष के पश्चात, पेंशन के सरांक्षीकृत भाग के पुनः स्थापन के लिए पी ए ओ/सी पी ऐ ओ से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है?**

नहीं, 15 वर्ष के पश्चात, पेंशन के सरांक्षीकृत भाग के पुनः स्थापन के लिए या समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, स्वतः बैंक द्वारा पेंशनधारक के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर हो जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ पी पी ओ में सरांक्षीकरण की तिथि का उल्लेख नहीं है, बैंक संबंधित पी ए ओ से, जिसने सी पी ए ओ के माध्यम से पी पी ओ जारी किया है, पेंशन के सरांक्षीकृत भाग की गणना करने से पूर्व सम्पूर्ण जानकारी लेगा।

5. **पेंशन के सरांक्षीकृत भाग की गणना करने के लिए पेंशनधारक को क्या करना होगा?**

सरांक्षीकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद पेंशन के सरांक्षीकृत भाग की गणना की जाएगी। इस 15 वर्ष की गणना सेवा मुक्ति की तिथि से की जाएगी बशर्ते कि सरांक्षीकरण, सेवा पेंशन के साथ ही एक पी पी ओ में संस्वीकृत किया गया हो।

फिर भी जहाँ सरांक्षीकरण, सेवामुक्ति के बाद संस्वीकृत किया गया हो, पेंशन के सरांक्षीकृत भाग की गणना उस तिथि के 15 वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी, जिससे पूंजीगत मूल्य की राशि पेंशनधारक को अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास इसके संबंध में आवेदन करना चाहिए।

6. **पेंशन की पुनः स्थापना क्या है, तथा ये कब से नियत होती है?**

पेंशनधारक द्वारा पेंशन के सरांक्षीकृत भाग की पुनः स्थापना, तब से नियतमानी जाती है, जब से सरांक्षीकृत भाग के एकमुश्त भुगतान की तिथि को 15 वर्ष बीत चुके हों।

7. **अवशिष्ट/अवशेष पेंशन क्या है?**

अवशिष्ट/अवशेष पेंशन, पेंशन का वह भाग है जो पेंशन से सरांक्षीकृत भाग को काटने के बाद शेष रह जाता है।

8. **किस समय तक पारिवारिक पेंशन का काल नियत किया गया है?**

पारिवारिक पेंशन जिस समय तक जारी रहेगी वह निम्नानुसार है:

I. विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह, जो पहले हो तब तक।
II. अविवाहित पुत्र के मामले में 25 वर्ष की आयु या विवाह होने तक या जब वह अपनी आजीविका कमाने लग जाए, जो पहले हो तब तक।
III. अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री की जब तब उसकी शादी/पुनर्विवाह न हो अथवा वह अपनी आजीविका कमाने न लग जाए, तब तक (जो पहले हो)।

IV. माता–पिता के मामले में, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूरी तरह निर्भर थे।

V. अक्षम भाई–बहन जो अपनी जीवनयापन के लिए, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उस पर पूरी तरह निर्भर थे।

9. क्या पेंशनधारक के माता–पिता, भाई और बहन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं?

केवल उसी स्थिति में जहाँ पेंशनधारक की विधवा अथवा बच्चे न हों तथा पेंशनधारक के माता–पिता आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर हों।

जीवन प्रमाण

1. जीवन प्रमाण क्या है?

भारत सरकार की पेंशन योजना के लिए डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र को जीवन प्रमाण कहते हैं। यह पेंशनधारी को जीवन प्रमाणपत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया से निजात दिलाने के लिए है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में पेंशनधारी को अपने जीवित होने का प्रमाण देता पड़ता है जिससे उनके खाते में नियमित रूप से पेंशन आती रहे। यह जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनधारी को या तो स्वयं पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना हाता है अथवा जहाँ वे पहले कार्य कर चुके हैं वहाँ से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त कर, पेंशन जारी करने वाली एजेंसी के पास उसे भेजना होता है। यह देखा गया है कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में बहुत वृद्ध और अशक्त पेंशनधीारयों को बहुत असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बहुत से पेंशनधारी अपने परिवार और बच्चों के साथ रहने के लिए दूसरे देश में बसने का निर्णय लेते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है।

"जीवन प्रमाणपत्र' इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर, पेंशनधारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत पेंशनधारी को स्वयं प्राधिकृत बैंक या एजेंसी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे घर में अपने कम्प्यूटर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा सकते हैं, जो बैंक को स्वीकार्य होगा।

1. क्या जीवन प्रमाण के द्वारा जीवित प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 'जीवन प्रमाण' अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त उपलब्ध सुविधा है।

2. 'जीवन प्रमाण' के अंतर्गत ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की क्या प्रक्रिया है?

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक पेंशनधारियों को अपने पेंशन खाते को आधार नम्बर से लिंक कराना होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पेंशनधारी https://Jeevanpramaan.gov.in सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे।

पेंशनधारी का विवरण जैसे पेंशन आधार नम्बर, पेंशनधारी का नाम, पीपीओ नम्बर, बैंक खाता विवरण, पता, मोबाइल नम्बर आदि वेब बेस्ड/क्लाइंट इंटरफेस द्वारा भरी जाएगी तथा अंत में पेंशनधारी को आधार नम्बर से सारी जानकारी को प्रमाणित कर अपनी उंगली, फिंगर प्रिंट स्कैनर पर रखकर आइरिस स्कैनर के सामने आंख लाकर विवरण पूर्ण करना होगा।

सफल रूप से प्रमाणित हो जाने के बाद प्रमाण आईडी/ट्रांजेक्शन नम्बर स्क्रीन पर आ जाएगा तथा वही नम्बर पेंशनधारी के मोबाइल नम्बर पर पोर्टल से एस एम एस के रूप में भेजा जाएगा। पोर्टल, सफल रूप से प्रमाणीकृत पेंशनधारक के लिए इलेक्ट्रानिक जीवन प्रमाण जारी करेगा तथा यह सेंट्रल लाइफ सर्टिफिकेट रिपोजिटरी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। संवितरक बैंक, पोर्टल से इलेक्ट्रानिक डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म द्वारा अपने पेंशनधारक का जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

पेंशनधारक को, बैंक को यह सूचित करना होगा कि उनका जीवन प्रमाण पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया जा चुका है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

1. **सी सी एस (पी) नियम 31.12.2003 तक या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। 31.12.2003 के बाद भारत सरकार की पेंशनयुक्त स्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारी क्या इन नियमों के अंतर्गत लाभ के हकदार हैं?**

पी एण्ड डब्ल्यू निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख 38/41/06–पी एण्ड पी डब्ल्यू(ए) दिनांक 5.5.2009 के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 31.12.2003 के बाद नियुक्त हुए हैं, के परिवार/स्वयं को अक्षमता पेंशन या पारिवारिक पेंशन अस्थाई रूप से तब तक दी जाएगी जब तक मृत्यु/दुर्घटना होने पर राष्ट्रीय पेंशन तंत्र के अंतर्गत नियमों का निर्धारण नहीं हो जाता।

2. **एन पी एस के अंतर्गत मृत सरकारी कर्मचारी को प्रदत्त लाभों के विषय में दिशानिर्देश/आदेश क्या हैं?**

पेंशन और पी डब्ल्यू कार्यालय आदेश संख्या 38/41/06/पी एण्ड डब्ल्यू (ए) दिनांक 5.5.2009 (वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार सी सी एस (पेंशन) नियम को एन पी एस के अंतर्गत मृत कार्मिक व उनके परिजनों को अस्थाई रूप से लाभ प्रदान किए जाएंगे। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5.5.2009 के अनुसार पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी मृत कार्मिक के परिजनों को उस स्थिति में देय होगी यदि मृत कार्मिक एन पी एस के अंतर्गत आता है तथा आवश्यक शर्तें पूरी करता है। ये भुगतान अस्थाई हैं तथा फाइनल प्रावधानों के अनुसार इन्हें समायोजित किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, एन पी एस के अंतर्गत मृत कार्मिक के पेंशन लाभ का भुगतान इस अवधि में नहीं किया जाएगा। उक्त कार्यालय आदेश के अंतर्गत अस्थाई लाभ देय होंगे। वित्त मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 1(7) डी सी पी एस (एन पी एस)/2009/टीए/221 दिनांक 02.07.2009 तथा दिनांक 29.09.2009 के शुद्धिपत्र के अनुसार कार्यालय प्रमुख योग्य कार्मिक के पेंशन के कागजात तैयार करेगा।

3. **एन पी एस के अंतर्गत आने वाले मृत सरकारी कमचारी के बकाया का निर्धारण करने के लिए क्या दिशानिर्देश/आदेश हैं?**

पेंशन और पी डब्ल्यू विभाग के कार्यालय आदेश सं. 38/41/06–पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए) दिनांक 05.05.2009 के अनुसार सी सी एस (पेंशन) नियम, का लाभ एन पी एस के अंतर्गत आने वाले, मृतक कर्मचारी के परिवारों को अस्थाई रूप से दिया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.05.2009 के अनुसार मृत कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी दी जाएगी यदि वह कर्मचारी आवश्यक शर्तें पूरी करता था तथा एन पी एस के अंतर्गत आता था। यह भुगतान अस्थाई है तथा फाइनल भुगतान में इसे समायोजित किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार मृत कर्मचारी की एकत्रित निधि का इस दौरान एन पी एस के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाएगा किंतु उक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत अस्थाई लाभ प्रदान किए जाएंगे। कार्यालय प्रमुख, संदर्भित नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के कागजात तैयार करेंगे तथा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(7)/डी सी पी एस (एन पी एस)/2009/टीए/221 दिनांक 02.07.2009 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 29.09.2009 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार योग्य सरकारी कर्मचारी के परिवारों को अस्थाई भुगतान करने संबंधी कार्यवाही करेंगे।

नियत चिकित्सा भत्ते तथा सी जी एच एस सुविधा

1. **पेंशनधारकों के लिए क्या चिकित्सा भत्ता देय है?**

यदि पेंशनधारक ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ सी जी एच एस डिस्पेंसरी उपलब्ध नहीं है, तथा वे आस–पास के क्षेत्र में उपलब्ध, सी जी एच एस सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो उन्हें 500 रूपए की दर पर निश्चित भत्ता दिया जाएगा। सी जी एच एस के अंतर्गत न आने वाले विश्व नगर (Cosmopolitan Cities) में रहने वाले पेंशनधारकों पर भी इस आशय का प्रमापत्र देने पर यह नियम ही लागू होगा।

2. **क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सी जी एच एस क्षेत्र में रहने के बावजूद सी जी एच एस कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, को भी नियम चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा?**

सी जी एच एस सुविधा विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सेवारत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उपलब्ध है। नियत चिकित्सा भत्ता केवल उन पेंशनधारियों को दिया जाता है जो सी जी एच एस क्षेत्र में नहीं रहते अथवा, उन्हें सी जी एच एस सुविधा उपलब्ध नहीं है। सी जी एच एस क्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारी सी जी एच एस के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा सुविधा (जैसे नियत चिकित्सा भत्ते) का लाभ नहीं उठा सकते। अतः पेंशनधारी यदि निर्धारित धनराशि जमा न करवाकर सी जी एच एस का लाभ नहीं उठाना चाहते तो उन्हें नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसे पेंशनधारक जिन्हें दो पेंशन जैसे सेवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन या सेना पेंशन और कोई अन्य सिविल पेंशन मिलती है तो उन्हें किस श्रेणी में चिकित्सा भत्ता प्राप्त हो सकेगा?

यदि किसी पेंशनधारक को 2 पेंशन मिलती है तो केवल एक से ही चिकित्सा भत्ता प्राप्त किया जा सकता है, वो भी तब यदि उन्हें संबंधित संगठन द्वारा चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही हो। सेना पेंशन और सिविल पेंशन दोनों मिलने की स्थिति में, यदि पेंशनधारक सिविल या सेना संगठन में से किसी एक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहा है, तो वह चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। दोनों पेंशन में से केवल एक से ही वह चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकता है, जब किसी से भी वह चिकित्सा सुविधा का लाभ न ले रहा हो।

3. **सी जी एच एस में पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है?**

1. उस शहर के एडी/जेडी कार्यालय से कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
2. संबंधित फार्म एडी/जेडी कार्यालय अथवा सीजीएचएस की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3. **आवश्यक दस्तावेज़:–**

I. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
II. आवासीय पते का प्रमाण/आश्रितों के पते का प्रमाण
III. पुत्र की आयु का प्रमाणपत्र
IV. 25 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र का अक्षमता प्रमाणपत्र
V. अर्ह पारिवारिक सदस्यों के फोटो
VI. सेवा में रहने के दौरान प्राप्त सी जी एच एस कार्ड को वापस करने संबंधी प्रमाणपत्र (केवल उस स्थिति में जहाँ सेवा के दौरान सी जी एच एस कार्ड जारी किया गया था)
VII. पी पी ओ और अंतिम वेतन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियाँ
VIII. सी जी एच एस अंशदान के लिए 'पी ए ओ सी जी एच एस नई दिल्ली' के नाम से दिल्ली के निवासियों के लिए तथा अन्य शहरों के लिए एडी, सी जी एच एस के नाम से आवश्यक राशि का ड्राफ्ट
IX. यदि किसी कारणवश पी पी ओ तैयार नहीं है तो अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर अस्थाई कार्ड प्राप्त करने का विकल्प भी है।
X. विवरण कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है जो डेटा बेस में सुरक्षित हो जाता है तथा उसी दिन उसका प्रिंट लेकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात् प्लास्टिक कार्ड, कार्ड धारक के घर के पते पर डाक द्वारा भेज दिए जाएंगे।

सेवारत कर्मचारी:– सेवारत कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र को भरकर, उसमें अपने परिवार के सदस्यों की फोटो लगाकर इसे अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में जमा कराएंगे, जहाँ वे कार्यरत हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इसे अतिरिक्त निदेशक सी जी एच एस कार्यालय को भेजेंगे जहाँ से कार्ड बनकर आएंगे। तत्काल प्रयोग के लिए प्रिंट आउट जारी कर दिए जाएंगे।

4. **यदि सी जी एच एस कार्ड खो जाए, तो क्या किया जाना चाहिए?**

ए डी/जे डी को 2 फोटो और 50 रूपए का आई पी ओ लगाकर, डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।

5. **सी जी एच एस कार्ड के लिए आश्रित पुत्र/पुत्री की कोई आयु सीमा भी है?**

I. पुत्र यदि 25 वर्ष की आयु से ज्यादा हो, शादीशुदा हो अथवा स्वयं नौकरी करता हो तो वह आश्रित नहीं माना जाएगा।
II. किंतु यदि पुत्र किसी प्रकार की स्थाई अक्षमता (शारीरिक या मानसिक) से ग्रस्त हो तो उसे 25 वर्श के बाद भी सी जी एच एस का लाभ मिलता रहेगा।

III. अक्षमता से तात्पर्य है अंधापन, कोढ़, सुनने में अक्षम, चलन फिरने में अक्षम, मानसिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से बीमार। इसके लिए मेडिकल बोर्ड से अपंगता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

IV. पुत्री जब तक अपनी आजीविका कमाने नहीं लग जाती अथवा उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक सी जी एच एस सुविधा का लाभ उठा सकती है। (इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है।)

6. जहाँ सी जी एच एस सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र में अन्य कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है?

क) ऐसे स्थान जहाँ सी जी एच एस सुविधा उपलब्ध नहीं है, में रहने वाले पेंशनधारी, आस–पास के क्षेत्र में उपलब्ध सी जी एच एस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ख) ऐसे स्थानों पर रहने वाले पेंशनधारी यदि चाहे तो 500/– रू. प्रति माह की दर से नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।

ग) सी जी एच एस सुविधा रहित क्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारी ओ पी डी के लिए 500/– रू. प्रतिमाह का निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं तथा नजदीकी सी जी एच एस अंतरंग रोगी सुविधा (Inpatient facilities) प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में बर्हि रोगी विभाग (OPD) की कोई सुविधा पेंशनधारी को प्राप्त नहीं होगी।

घ) सी जी एच एस पेंशनधारी लाभार्थी (उनके आश्रित तथा परिवार के सदस्य) जिनके पास सी जी एच एस कार्ड है तथा वह सी जी एच एस सुविधा रहित क्षेत्र में रहते हैं, निम्न सुविधाओं के हकदार होंगे:–

I. (सरकारी अस्पताल/सी एस (एम ए) /ई सी एच एस अनुमोदित अस्पताल से /सी जी एच एस डिस्पेंसरी से रेफर कराने के बाद) अंतरंग रोगी सुविधा प्राप्त करना तथा फॉलो–अप उपचार प्राप्त करना तथा जिस शहर का सी जी एच एस कार्ड है वहाँ के एडी/जेडी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ के लिए आवेदन करना।

II. चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में, उपचार किसी भी अस्पताल से कराया जा सकता है तथा संबंधित शहर के एडी/जेडी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ के लिए आवेदन किया जा सकता है।

III. प्रतिपूर्ति लाभ, उस शहर की सी जी एच एस दर पर निर्भर करेगा, जिस शहर का सी जी एच एस कार्ड है। उच्चतम सीमा और वार्ड की हकदारी या सही मूल्य (जो भी कम हो) देय होगा।

7. **निर्धारित चिकित्सा भत्ता वापस करने तथा सी जी एच एस सुविधा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?**

पेंशनधारक को अपने पी पी ओ नम्बर आदि विवरण के साथ उस कार्यालय के प्रधान के पास नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने तथा सी जी एच एस सुविधा प्रारम्भ करने संबंधी आवेदन करना है। आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय इसे संबंधित पी ए ओ/जेड पी ए ओ को भेजेगा। पी ए ओ/जेड पी ए ओ तत्पश्चात इस आवेदन के आधार पर सी पी ए ओ, पेंशनधारी तथा कार्यालय प्रमुख को सूचित करते हुए नियत चिकित्सा भत्ते को बंद करने का आदेश जारी करेंगे। सी पी ए ओ इसे संबंधित सी पी पी सी को भेजेंगे तत्पश्चात इसे पेंशन प्रदाता बैंक को भेजा जाएगा। बैंक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद कि नियत चिकित्सा भत्ता बंद कर दिया गया है, पेंशनधारक अपने क्षेत्र के संबंधित सी जी एच एस अधिकारी, से सी जी एच एस सुविधा प्राप्त करने के लिए संपर्क करेंगे किंतु नियत चिकित्सा भत्ते से सी जी एच एस सुविधा प्राप्त करने तथा इसके विपरीत सी जी एच एस के स्थान पर नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प कोई भी पेंशनधारक अपने सम्पूर्ण जीवन काल में एक बार ही चुन सकता है।

पेंशन प्रक्रिया के संदर्भ में यूनिट प्रमुख पी ए ओ, सी पी ए ओ और बैंकों की भूमिका

1. **पेंशनधारक की पेंशन परिशोधित करने में यूनिट की क्या भूमिका है?**

यूनिट पेंशनधारक की पेंशन को परिशोधित कराने के मामले को संबंधित पी ए ओ/जेड पी ए ओ में भेजेगी। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन के परिशोधन जैसे वित्तीय उन्नयन, ए सी पी/एम ए सी पी या अन्य किसी कारण से बढ़े वेतन के संबंध में परिशोधित पी पी ओ, सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी के अंतर के भुगतान तथा छुट्टी नकदीकरण आदि के लिए यूनिट जिम्मेदार होगी। बाद में कोई गलती/विषमता पाए जाने पर पी पी ओ में परिशोधन भी किया जाएगा।

2. **पी ए ओ/जेड पी ए ओ की पेंशन के परिशोधन में क्या भूमिका है?**

I. संबंधित यूनिट से आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित पी ए ओ/जेड पी ए ओ पूरे मामले की जाँच करने के बाद सी पी ए ओ, पेंशनधारक तथा संबंधित यूनिट को सूचित करते हुए परिशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करेंगे।

II. यदि सरकार पेंशन नियमों में कोई फेरबदल या बदलाव करती है तो संबंधित पी ए ओ/जेड पी ए ओ आवश्यकता पड़ने पर पेंशन आदेश की परिशोधित प्रति भी जारी करेंगे।

3. **सी पी ए ओ की क्या भूमिका है?**

केन्द्रीय पेंशन लेखा अधिकारी (सी पी ए ओ) को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं:–

I. स्पेंशल सील अथॉरिटी (एस एस ए) जारी करना, नई पेंशन के मामलों तथा पुराने पेंशन के परिशोधन के मामलों में सी पी पी सी (केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केन्द) के पेंशन देने वाले बैंक को भुगतान के लिए प्राधिकृत करना।

II. पेंशन देने वाले बैंक के सी पी पी सी की लेखा परीक्षा।

III. केन्द्रीय सिविल पेंशनधारकों का डेटा बैंक तैयार करना जिसमें पी पी ओ और परिशोधन करने वाले प्राधिकारी का सम्पूर्ण विवरण हो।

IV. केन्द्रीय सिविल पेंशनधारकों की शिकायतों को दूर करना।

V. अंतरिम प्रबंध के रूप में, पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त मंत्रालय की नई पेंशन नीति के अंतर्गत अस्थाई पेंशन का भुगतान करना।

4. **सी पी पी सी और पेंशन प्रदाता बैंक की भूमिका:–**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी पी ए ओ को विशेष सील लगाकर पी पी ओ जारी किया जाएगा। सी पी ए ओ, विशेष सील का सत्यापन कर, पी पी ओ के साथ, पेंशन विवरण की ई–कॉपी और स्पेशल सील अथॉरिटी (एस एस ए) की अतिरिक्त प्रति अग्रसारित करेंगे। पी पी ओ का संवितरण भाग और स्पेशल सील अथॉरिटी, सी पी पी सी में रोक ली जाएगी। पी पी ओ का पेंशनधारी भाग पेंशन प्रदाता बेंक को भेज दिया जाएगा, साथ ही एस एस ए की एक अतिरिक्त प्रति भी भेजी जाएगी। सी पी पी सी अपने नेटवर्क पर संवितरण भाग की स्कैन की हुई प्रति डालेंगे जो पेंशन प्रदाता शाखा और सी पी ए ओ को दिखाई देगी।

ii) पेंशन प्रदाता बैंक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर, पी पी ओ की पेंशनधारक प्रति से पेंशनधारी प्रति की फ़ोटो/विवरण का मिलान बैंक नेटवर्क के सांविरारण भाग की स्केन प्रति रो करेंगे तथा सी पी पी सी को तद्नुसार सूचित करेंगे तथा इसका आधा भाग पेंशनधारक को दे देंगे। सी पी पी सी तब तक भुगतान नहीं करेगी जब तक यह पहचान प्रमाणपत्र पी पी बी मैनेजर को प्राप्त नहीं हो जाता। इसे डेटाबेस में रिकार्ड कर लिया जाएगा। भुगतान करने वाली शाखा पेंशनधारक से एक शपथपत्र लेगी कि किसी जानकारी के देरी से पहुंचने अथवा वास्तविक गलती होने पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान को बैंक को वापस करना होगा। भुगतान करने वाली शाखा आयकर को पेंशन से काटने का अधिकार रखती है।

iii) पेंशनधारक केवल उसी शाखा से लेनदेन कर सकता है, जहाँ उसका खाता है। पेंशन प्रदाता शाखा वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। पेंशनधारक पारिवारिक पेंशनधारी बेरोजगार प्रमाणपत्र या केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के किसी प्रभाग/कार्यालय, कंपनी, कार्पोरेशन, अंडरटेकिंग आदि प्रमाणपत्र नियत तिथि को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, सी पी पी सी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उसी तिथि से बंद कर देगी जब तक पी पी बी को जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता और इसकी सूचना सी पी पी सी को नहीं दी जाती।

iv) पेंशन आदि से संबधित सभी गणना सी पी पी सी द्वारा की जाएगी तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया से भुगतान करने वाले सभी पेंशनधारकों के खाते में जमा राशि का लेखा–जोखा भी इनके द्वारा रखा जाएगा। सी पी पी सी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन, पेंशनधारक के खाते में हर महीने की आखिरी तिथि को जमा हो जाए केवल मार्च माह को छोड़कर, इस माह की पेंशन अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस में खाते में जमा होती है।

v) सी पी पी सी पेंशन की गणना और पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारी को देय पेंशन और अन्य विवरण कम्प्यूटर पर डिस्प्ले होंगे। पेंशन प्रदाता शाखा इसका प्रिंट लेकर पेंशनधारक को सौंपेगी। पेंशन प्रदाता शाखा (पी सी बी) पेंशनधारी से संपर्क स्थापित कर, निर्धारित सीमा में, आवश्यकता पड़ने पर सी पी पी सी से सलाह कर उनकी शिकायतों का निवारण करेगी। सी पी पी सी के मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जो पेंशन प्रदाता शाखा या सी पी ए ओ द्वारा अग्रसारित पेंशनधारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।

vi) पेंशन के प्रकार में कोई बदलाव होने पर, जैसे पेंशनधारी की मृत्यु, पते में बदलाव, किसी अन्य बैंक या शाखा में हस्तान्तरण, पेंशन के गैर चालू मामले आदि की सूचना तत्काल, बिना देरी के पेंशन प्रदाता बैंक सी पी पी सी को देगा, जो सी पी ए ओ को अग्रसारित किया जाएगा।

vii) किसी संशोधन/परिशोधन के लिए कोई भी दस्तावेज जो सी पी ए ओ द्वारा प्राधिकृत है, की ई कॉपी सी पी ए ओ से सी पी पी सी और पी पी बी को भेजी जाएगी। सी पी पी सी का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी संशोधन/परिशोधन की प्रविष्टि पी पी ओ की सांवितरण प्रति में अवश्य की जाए। इसकी सूचना पेंशन प्रदाता शाखा को दी जाए तथा पी पी बी द्वारा इसकी प्रविष्टि पेंशनधारक की प्रति में की जाए।

viii) प्रदाता बैंक का यह दायित्व होगा, कि वे पेंशनधारक की प्रतिष्टियों को अद्यतन रखें और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर लें।

ix) सी पी पी सी को केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में प्रयुक्त भुगता स्क्रॉल को इलेक्ट्रानिक रूप से भेजना होगा।

x) सी पी पी सी में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो सी पी ए ओ या प्रदाता बैंक द्वारा अग्रसारित पेंशनधारी की शिकायत की जानकारी रखेगा और प्रदाता बैंक, पेंशनधारक की शिकायतों को एक सप्ताह में निपटाने के लिए जिम्मेदार होगा।

5. **पेंशन की प्रक्रिया में वेतन एवं लेखा कार्यालय की क्या भूमिका है?**

वेतन तथा लेखा अधिकारी, पेंशन संबंधी कागज़ात प्राप्त होने पर, सेवा अभिलेख की जांच करेगा तथा पेंशन नियम के संदर्भ में निर्धारित जांच कर पेंशन के लाभ की राशि की गणना करेगा। आवश्यक जांच पूरी हो जाने पर, वह पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) सी ए एम–52 में दिए प्रोफार्मा में भरकर तैयार करेगा तथा विशेष सील लगाकर केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को प्राधिकृत बैंक द्वारा भुगतान की व्यवस्था किए जाने के लिए अग्रसारित करेगा। गणना की सत्यता तथा स्वीकार्य पेंशन का प्राधिकरण, वेतन तथा लेखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6. **सी पी ए ओ का क्या दायित्व है?**

I. सी पी ए ओ पेंशन संस्वीकृति करने वाले प्राधिकारी (अर्थात जिस कार्यालय में सेवानिवृत्त/मृत कार्मिक कार्यरत था) और पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी (वेतन और लेखा अधिकारी) और पेंशन प्रदाता बैंक के बीच कड़ी का काम करता है। वेतन और लेखा अधिकारी से प्राप्त पेंशन के मामलों के आधार पर सी पी ए ओ, विशेष सील अथॉरिटी (एस एस ए) को पेंशन के नवीन अथवा पेंशन के परिशोधित मामलों में पेंशन प्रदाता बैंक के सी पी पी सी (सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर) को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है। सी पी ए ओ को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन करने अथवा पेंशनधारक के पते में भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सी पी ए ओ का पेंशन भुगतान में भी कोई अधिकार नहीं है। सी पी ए ओ, पेंशन और लेखा कार्यालय से प्राप्त स्पेशल सी अथॉरिटी के आधार पर पेंशन का डेटा बेस तैयार करता है। डेटा बेस तैयार होने के बाद स्वयं की विशेष सील अथॉरिटी तैयार कर संबंधित बैंक के सी पी पी सी में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा।

II. अंतरिम प्रावधान के अंतर्गत, पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार नई पेंशन नीति के अंतर्गत मृत्यु अथवा अपंक हो जाने की स्थिति में सी पी ए ओ अस्थाई पेंशन प्रदान कर राकता है।

III. सी पी ए ओ, वर्ष में एक बार नवम्बर के प्रथम पखवाड़े में, आगामी कैलेन्डर वर्ष में जारी किए जाने वाले पी पी ओ की क्रम संख्या की सूची जारी करता है। ये संख्याएं प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रयोग में लाने के लिए जारी की जाती है। सी पी ए ओ द्वारा जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से जारी किए जाएंगे। इस पर सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवीन क्रम संख्या जारी करने का मापदण्ड पेंशन भुगतान आदेश जारी करने की तिथि को माना जाएगा न कि सेवानिवृत्ति की तिथि और पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि को।

7. बैंक के केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) का क्या महत्व है?

सी पी पी सी, पेंशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा उनके सभी पेंशन खाते के रखरखाव के लिए एकमात्र जरिया है। बैंक का केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्र पेंशन के भुगता, पेंशन का संवितरण तथा पेंशनधारियों के डेटा बेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संबंधित बैंक के केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्र द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना की जाती है तथा ये पेंशनधारी के बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। सी पी पी सी पेंशनधारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए भी उत्तरदायी है।

8. सी पी पी सी को प्रथम पेंशन कब, पेंशनधारियों के खाते में जमा करानी चाहिए?

सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर, सी पी पी सी सेवानिवृत्ति के माह के अंतिम दिन अथवा पी पी ओ/एस एस ए की प्राप्ति के 40 दिन के अंदर (जो भी पहले हो) पेंशनधारक के खाते में पेंशन जमा हो जानी चाहिए।

9. क्या सी पी ए ओ ने पेंशनधारियों को पी पी ओ की प्रगति जानने के लिए कोई सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है?

कोई भी व्यक्ति किसी भी पी पी ओ के विषय 'Know your status' में लिंक पर जाकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पेंशनधारी सी पी ए ओ की वेबसाइट www.cpao.nic.in में स्वयं को पंजीकृत कराकर लॉग–इन और पासवर्ड द्वारा पी पी ओ की प्रति को डाउन--लोड करने और सी पी ए ओ द्वारा जारी निर्धारित संशोधनों की प्रति निकाल सकते हैं।

10. क्या, पेंशनधारी के खाते में किए गए अतिरिक्त भुगतान को बैंक वापस ले सकता है?

पेंशन का भुगतान करने से पूर्व, भुगतान करने वाली शाखा, पेंशनधारियों की योजना के अनुलग्नक XI में दिए गए शपथपत्र पर हस्ताक्षर लेगीं कि अतिरिक्त भुगतान होने पर बैंक उसे वापस लेने का अधिकार रखता है। इस शपथपत्र के आधार पर, अतिरिक्त भुगतान, बैंक की शाखा द्वारा वापस ले लिया जाएगा।